विनियमन और पर्यवेक्षण – डिजिटल युग को अपनाना

श्री संजय मल्होत्रा

सुप्रभात और नमस्कार। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

प्रौद्योगिकी में प्रगति मानव गतिविधि के सभी अर्थात व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वित्तीय प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं है। प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों से बैंकिंग में क्रांति ला दी है। फिर भी, आज का परिदृश्य अलग है, परिवर्तन की गति और व्यापकता अभूतपूर्व है। प्रौद्योगिकी ने नए उत्पाद, साझेदार और प्रक्रियाएं पेश की हैं।

डिजिटलीकरण पहुंच को व्यापक बना रहा है, दक्षता बढ़ा रहा है, सुविधा में सुधार कर रहा है और कहीं अधिक अनुकूलित वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही, यह जोखिमों की प्रकृति और व्यापकता को भी नया रूप दे रहा है। यह व्यवधानों और जोखिमों के प्रसार को भी तेज कर रहा है, जो विनियामक और पर्यवेक्षी प्रतिक्रिया में तत्परता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यही कारण है कि सम्मेलन का विषय अत्यंत उपयुक्त है।

आज मैं अपने संबोधन में पाँच प्रमुख संदेशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ:

i. सहयोगात्मक प्रयास के रूप में प्रणालीगत लचीलापन
ii. सुधारात्मक उपायों के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई और प्रवर्तन
iii. डेटा का प्रभावी उपयोग
iv. ग्राहक-केंद्रितता
v. क्षमता निर्माण

I. सहयोगात्मक प्रयास के रूप में प्रणालीगत लचीलापन

सबसे पहले, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि रिज़र्व बैंक में हम विनियमित संस्थाओं के प्रति अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिकाओं को सहयोगात्मक मानते हैं, न कि प्रतिपक्षी। हम एक विनियामक के रूप में अपनी सफलता को न केवल स्थिरता के संदर्भ में, बल्कि वित्तीय क्षेत्र की गतिशीलता और जीवंतता के संदर्भ में भी मापते हैं। इसी प्रकार, विनियमित संस्थाओं की दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थिरता आवश्यक है। मूलतः, विनियामक और विनियमित संस्थाओं के उद्देश्य एक ही हैं, अर्थात् वित्तीय प्रणाली का दीर्घकालिक विकास, उन्नति, स्थिरता, अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। विनियामक और विनियमित संस्थाएँ एक ही टीम में हैं, न कि विरोधी खेमों में। हम राष्ट्र के विकास में भागीदार हैं। इसलिए, हमें एक ओर विकास और प्रणालीगत स्थिरता तथा दूसरी ओर जिम्मेदार नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण के बीच सही संतुलन स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना होगा।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सहयोगात्मक प्रयास है। लगभग हर विनियमन को एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाएं अपने आंतरिक नियमों, नियंत्रण, जांच और प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं को विनियमित करती हैं। विनियमित संस्थाओं का अपना स्वयं का, व्यापक अर्थ में कहें तो, उनके बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और आश्वासन टीमों के माध्यम से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से पर्यवेक्षण होता है। इस प्रकार, यद्यपि विनियमन और पर्यवेक्षण का वैधानिक दायित्व आरबीआई के पास है, प्रणालीगत लचीलेपन को बनाए रखने, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बनाने का दायित्व साझा जिम्मेदारियां हैं। यह एक सामूहिक आकांक्षा के साथ किया जाने वाला सहयोगात्मक कार्य है।

आइए हम सभी को याद रखना चाहिए कि विनियमन तब सबसे अच्छा काम करता है जब बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं पर्यवेक्षकों को त्रुटि ढूंढने वाले निरीक्षकों के रूप में नहीं, बल्कि आघात सहनीयता में सहयोगी के रूप में देखती हैं।

भारत जैसे देश के लिए, जहां बैंक वित्तीय मध्यस्थता और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है।

* 9 जनवरी, 2026 को मुंबई में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा द्वारा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण।

II. सुधारात्मक उपायों के रूप में पर्यवेक्षी कार्रवाई और प्रवर्तन

अब मैं अपने दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। पर्यवेक्षी कार्रवाई और प्रवर्तन को अक्सर विनियमन और पर्यवेक्षण के सबसे प्रत्यक्ष पहलू के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि रिज़र्व बैंक द्वारा की गई ऐसी कार्रवाइयों को पर्यवेक्षी उपायों की एक शृंखला के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक स्वतंत्र प्रतिक्रिया के रूप में। यह शृंखला प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से शुरू होती है और संवाद व मार्गदर्शन, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से होकर गुजरती है। प्रवर्तन, प्रतिबंध और दंड अंतिम उपाय हैं। हमारा प्रयास एक मजबूत वित्तीय पारितंत्र बनाना है जहाँ पर्यवेक्षण स्व-सुधार को प्रोत्साहित करें और प्रवर्तन केवल एक सहायक उपाय के रूप में कार्य करें।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का उद्देश्य सामान्यतः दंडात्मक नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य काफी हद तक सुधार करना है। ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं - (i) जिनके विरुद्ध ऐसे उपाय शुरू किए गए हैं, उन्हें संकेत देना; और (ii) दूसरों को हमारे स्वीकार्य आचरण मानकों और अपेक्षाओं से अवगत कराना।

III. डेटा का प्रभावी उपयोग

मेरा तीसरा मुद्दा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों और पर्यवेक्षण एवं विनियमन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए हमारे द्वारा एकत्रित किए जाने वाले डेटा से संबंधित है। हमने रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अतीत में कई पहल की हैं। हम सीआईएमएस और दक्ष जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में आप सभी पर कुछ भार अवश्य पड़ता है, लेकिन आपके सहयोग से हमारी पर्यवेक्षण क्षमताएं मजबूत हुई हैं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्युआई) की शुरुआत के बाद से डेटा की गुणवत्ता में हाल ही में सुधार हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम विनियमित संस्थाओं पर भार कम करते हुए प्रणाली में सुधार के लिए सहयोग जारी रखेंगे।

हालांकि हमने इस डेटा का अच्छा उपयोग किया है, फिर भी इसके अधिक प्रभावी उपयोग की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, पर्यवेक्षण विभाग अधिक निरंतर निगरानी और प्रारंभिक जोखिम का शीघ्र पता लगाने में सहायता के लिए बेहतर अप्रत्यक्ष निगरानी हेतु मजबूत विश्लेषणात्मक और पर्यवेक्षी डैशबोर्ड विकसित कर सकता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि पर्यवेक्षण को प्रत्यक्ष की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष बनाया जाए और इसे आवधिक के बजाय लगभग वास्तविक समय पर आधारित किया जाए। उत्तरोत्तर, इसका अर्थ यह भी होगा कि पर्यवेक्षकों के पास निर्णय लेने और जवाबदेही बनाए रखते हुए, सुपटेक और एआई-सक्षम उपकरणों का अधिक गहराई से उपयोग किया जाए। इसी प्रकार, विनियमन विभाग साक्ष्य आधारित विनियमन बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि डेटा का बेहतर और प्रभावी उपयोग किया जाए।

IV. ग्राहक-केंद्रितता

अब मैं ग्राहकों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करूँगा। हम सभी के लिए, ग्राहकों के हितों की रक्षा करना केवल एक प्राथमिकता नहीं है बल्कि यह एक स्थायी और मजबूत वित्तीय प्रणाली की आधारशिला होनी चाहिए। डिजिटल चैनल समावेशन और सुविधा में सुधार करके हमारे प्रयासों को सुगम बनाते हैं। लेकिन, सुरक्षा उपायों के अभाव में, वे अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, अपर्याप्त खुलासे और अनुचित वसूली प्रथाओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि डिजिटलीकरण और नवाचार उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष परिणामों के अनुरूप हों।

इस प्रयास का एक प्रमुख तत्व ग्राहकों को बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे से बचाना होना चाहिए, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। जबकि बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम और उससे निपटने के लिए अपने उपकरणों, तकनीकों और प्रक्रियाओं में सुधार जारी रखना चाहिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें समय पर और पूर्व-निवारक रूप से अवैध खातों और संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए विश्लेषण और उपकरण विकसित करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

V. क्षमता निर्माण

निष्कर्ष से पहले, मैं यह स्वीकार करना चाहूंगा कि वित्तीय प्रणाली में हम सभी से बहुत अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं और अपने

व्यापक दायित्व को पूरा करने के लिए, हमें अपनी प्रभावशीलता में सुधार करना होगा। यह केवल तभी संभव है जब हमारे पास न केवल रिजर्व बैंक के भीतर विनियामक और पर्यवेक्षी क्षेत्रों में, बल्कि वित्तीय संस्थानों के भीतर भी कौशल का सही मिश्रण हो।

इसके अलावा, एक मजबूत वित्तीय प्रणाली के लिए पर्यवेक्षकों, विनियामकों और विनियमित संस्थाओं को एक-दूसरे से निरंतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सीखने की आवश्यकता है।

विनियमित संस्थाओं को विनियामक अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से, उन क्षेत्रों में जहां मॉडल, साझेदार, डेटा और डिजिटल वितरण नए प्रकार के जोखिम पैदा करते हैं। उन्हें विनियमन के सार को आत्मसात करना होगा और उसकी भावना का पालन करना होगा, न कि केवल खानापूर्ति वाली अनुपालन संस्कृति का। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम एक सामान्य समझ विकसित करें जिससे टकराव कम और परिणाम बेहतर हों।

पर्यवेक्षकों और विनियामकों को समय पर सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य न केवल मौजूदा नियमों को लागू करना है, बल्कि पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों के दौरान देखी गई विनियामक कमियों और विसंगतियों को उजागर करके उन्हें परिष्कृत करने में भी मदद करना है। पिछले वर्ष सह-ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों और सोने-चांदी के आभूषणों के बदले ऋण देने संबंधी संशोधन कुछ ऐसे हालिया उदाहरण हैं, जहां सभी हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने हमें नियमों को परिष्कृत करने में मदद की। यह प्रतिक्रिया प्रक्रिया केवल पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विनियामक या पर्यवेक्षी डेटा रिपोर्टिंग भी शामिल है।

हमें अपने सहभागिता और क्षमता निर्माण प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है। यहीं पर कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) जैसे संस्थान अमूल्य योगदान दे सकते हैं। सीओएस केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। यह निगरानी की एक साझा भाषा विकसित करने, केस स्टडी और व्यावहारिक परिदृश्यों से सीखने का एक मंच है। यह कौशल उन्नयन और रिजर्व बैंक तथा हमारे विनियमित संस्थानों के बीच सूचना के अंतर को पाटने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सीओएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें और सहयोग करें।

निष्कर्ष

अपने संबोधन के समापन में, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि डिजिटल युग में भी विनियमन और पर्यवेक्षण की मूलभूत संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। ये आज भी जोखिम संवेदनशीलता के मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करते हैं। विनियमित संस्थाएँ आज भी अपने हितधारकों के हितों को सर्वोपरि मानती हैं। फिर भी, डिजिटलीकरण ने परिदृश्य को कई मायनों में बदल दिया है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने और चिंतन करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ:

- सबसे पहले, विनियमन और पर्यवेक्षण जोखिम-आधारित, आनुपातिक और प्रौद्योगिकी-तटस्थ बने रहने चाहिए;
- दूसरा, प्रौद्योगिकी में अनुपालन को अंतर्निहित करना चाहिए, न कि उसे दरकिनार करना चाहिए; और
- तीसरा, जवाबदेही मानवीय बनी रहनी चाहिए, और स्वचालन को जवाबदेही को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि दिन भर की आपकी चर्चाओं से विनियमन और पर्यवेक्षण में आवश्यक बदलावों के संबंध में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, और हम अपने प्रमुख हितधारकों और समकक्षों के साथ सहयोग के लिए मजबूत मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

मैं इस सम्मेलन के आयोजन और मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए सीओएस टीम का आभारी हूं। मैं आपको एक बेहद उपयोगी और सफल सम्मेलन की शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद। नमस्कार।